उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः ०२ /XXVII(7)/32/2007 T.C./2020
देहरादूनः दिनांक ०८ जनवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्रापित (प्रॅक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नियम 3 के उप–नियम (14) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''(15) ऐसे देश/देशों, जिनकी सीमाऐं देश की सीमा से मिलती हो, के निविदादाताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कारणों के दृष्टिगत् भारत सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध मूल नियमावली में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी यथावत् लागू होंगे।''

नियम 9 का संशोधन 3. मूल नियमावली के विद्यमान नियम 9 के उपनियम (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
9. (1) सीमित निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तक हो।	**9. (1)** सीमित निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तक हो। **“ परन्तु यह कि गुणवत्ता से समझौता किये बिना निम्न प्रतिबन्धों के अधीन विभागीय कार्यकलापों में इस्तेमाल होने वाली रू0 5,00,000 (रू0 पॉच लाख) लाख तक की ऐसी सामग्री, राज्य के पंजीकृत एवं विधिवत् गठित स्वयं सहायता समूहों/संघो से क्रय की जा सकेगी जो उनके द्वारा स्वयं उत्पादित की गयी हो। उक्त नियम ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा उत्पादों की 05 श्रेणियां यथाः हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, किराना और पेन्ट्री, कार्यालय सामान और व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता उत्पाद (Handicraft, Handloom textiles,**

grocery & pantry, office accessories and personal care & hygiene product) पर ही लागू होगा।

परन्तु यह भी कि उक्त संशोधन नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से पूर्व ग्राम्य विकास विभाग के अधीन पंजीकृत एवं विधिवत् गठित स्वयं सहायता समूहों/संघों को ही पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। "

नियम 55 का संशोधन 4. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 55 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
55. (1) जिन कार्यों/सेवाओं की अनुमानित लागत रूपये 15,00,000 (रू0 पन्द्रह लाख) तक हो, उनके सम्बन्ध में औपचारिक/अनौपचारिक रूप से ऐसे संगठनों/ विभागों/ चैम्बर्स ऑफ कामर्स एन्ड इंडस्ट्री आदि से, जो समान कार्य–कलापों में संलिप्त हों, सूचनायें एकत्र कर सक्षम परामर्शियों की सूची बनायी जाय।	**55.** (1) **"जिन कार्यों/सेवाओं की अनुमानित लागत रूपये 20,00,000 (रू0 बीस लाख) तक हो, उनके सम्बन्ध में औपचारिक/अनौपचारिक रूप से ऐसे संगठनों/ विभागों/चैम्बर्स ऑफ कामर्स एन्ड इंडस्ट्री आदि से, जो समान कार्य–कलापों में संलिप्त हों, सूचनायें एकत्र कर सक्षम परामर्शियों की सूची बनायी जाय।"**

आज्ञा से,

(सौजन्या)
सचिव।